राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट **जयपुर, दिनांक : 30 NOV 2021**

आदेश

विषयः Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से योजना में सम्मिलित नहीं करने बाबत।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प. 6(10)/वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 27–10–2021.

उपरोक्त संदर्भित समसंख्यक आदेश की निरन्तरता में लेख है कि चूंकि राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 में Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अनुरूप संशोधन नहीं हुए हैं और इसमें समय लगने की संभावना है। अतः न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी दिनांक 31–12–2021 तक राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे।

यदि न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी स्वैच्छिक रूप से Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) में पंजीकरण कराते हैं, तो उन्हें RGHS की प्रकिया अनुसार राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अन्तर्गत देय चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस आधार पर प्राप्त हो सकेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

30/11/21
(एस.जैड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 50 / 2021)